# न्यायालय, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद।
## (उपस्थित –अरूण कुमार शर्मा)

## आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या – 40/2022

(विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, के द्वारा परिवाद वाद संख्या– 194/2020 में दिनांक 24.05.2022 को पारित आदेश से उद्भूत आपराधिक पुनरीक्षण)

1. मंजू कुमारी, पति गुड्डु कुमार,
साकिन श्रीबिगहा, पोस्ट व थाना शकुराबाद, जिला जहानाबाद।

.....पुनरीक्षणकर्ता।

विरूद्ध

1. ममता कुमारी, पिता देवराजीता यादव,
साकिन थुरूबिगहा, थाना कल्पा, जिला जहानाबाद।
2. विजय प्रसाद, प्रधानाध्यापक,
वर्तमान पता कुलदीप नारायण सिंह, उच्च विद्यालय, ग्राम टिम्बलपुर,
पो0 सैदाबाद, थाना काको जिला जहानाबाद।
ग्राम टिल्लुबिगहा, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद।
3. स्टेट ऑफ बिहार।

.....विपक्षीगण।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से – श्री अरविन्द कुमार, पैनल अधिवक्ता।
बिहार राज्य की ओर से – श्री शारदानन्द प्रसाद, लोक अभियोजक।

**आदेश**
**दिनांक – 30.06.2026**

01. प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण वाद, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जहानाबाद के आदेश दिनांक 24.05.2022 के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

02. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं उनका कथन है कि विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.05.2022 से परिवादिनी की ओर से दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया गया था। उक्त परिवाद, परिवादिनी मंजू देवी के द्वारा दाखिल

Web copy

किया गया था और उसमें परिवादिनी का साक्ष्य तथा जॉच साक्षियों का साक्ष्य हुआ था, परन्तु उसके उपरान्त भी न्यायालय द्वारा उस परिवाद पर संज्ञान नहीं लिया गया और परिवाद को अन्तर्गत धारा 203 सी0आर0पी0सी0 में खारिज कर दिया गया। आगे कहा गया कि उक्त आदेश विधि की दृष्टि में सही नहीं है और स्वयं हीं अपास्त योग्य है। आगे कहा गया कि इस मामले की प्रतिवादी ममता कुमारी को ऑगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि परिवादिनी मंजू कुमारी उससे ज्यादा नंबर प्राप्त की थी, इसलिए ममता कुमारी की नियुक्ति का आदेश अवैध तथा शिक्षा विभाग के नियमों के प्रतिकूल है। इसी से क्षुब्ध होकर परिवादिनी के द्वारा यह परिवाद लाया गया था। अन्त में, उनके द्वारा अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 24.05.2022 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया गया।

03. जबकि राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जहानाबाद का आदेश दिनांक 24.05.2022 में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश न्यायालय द्वारा विधिक मस्तिष्क का प्रयोग कर पारित किया गया है और उक्त आदेश में कोई अवैधता नहीं है। अन्त में उनके द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

04. विपक्षी संख्या– 1 व 2 की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

05. पुनरीक्षण के निराकरण हेतु अवधारणीय प्रश्न यह है कि –
क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2022 अशुद्ध, अवैध एवं अनौचित्य होने से अपास्त किये जाने योग्य है अथवा नहीं ?

06. उभय पक्षों के तर्कों को सूना गया एवं अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के परिशीलन से दर्शित है कि पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने में सत्र न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है और सत्र न्यायालय केवल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में अवैधता, अनियमितता एवं अनुचितता की जॉच कर सकता है।

07. इस संबंध में अभिलेख व अवर न्यायालय के मूल अभिलेख व प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.05.2022 का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

08. अवर न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी के द्वारा इस आशय का परिवाद ममता कुमारी व विजय प्रसाद परिवाद दाखिल किया था कि परिवादिनी ने अपने गॉव के आंगनबाड़ी

Web copy

सहायिका के लिए आवेदन दिया था। परिवादिनी के द्वारा विजय प्रसाद, प्रधानाध्यापक से ममता कुमारी, जो कि उनके विद्यालय में पढ़ी थी, के बारे में जानकारी मांगा गया था और इस संबंध में वकालतन नोटिस भी दिया गया था, परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ममता कुमारी के द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका बहाली हेतु अपना समस्त दस्तावेज प्रधानाध्यापक के पास दाखिल किया गया था। परिवादिनी को यह पूर्ण विश्वास है कि वह दस्तावेज जाली व गलत है। परिवाद में आगे उल्लेखित है कि आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर ममता कुमारी बहाली धोखा व साजिश के तहत हुई है। परिवादिनी थाना पर मुकदमा दर्ज करने गई थी, परन्तु थाना के दारोगा जी बोले कि न्यायालय में जाकर मुकदमा दर्ज करो।

परिवादिनी का परिवाद को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा दर्ज किया गया तथा परिवादिनी का सशपथ बयान लिया गया। परिवादिनी ने अपने समर्थन में जॉच साक्षी 01. सुभाष कुमार, जॉच साक्षी संख्या 02. गुड्डु कुमार को परीक्षित कराया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.05.2022 के द्वारा परिवादिनी के परिवाद को खारिज कर दिया गया था।

09. उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.05.022 के सम्यक अवलोकन व परिशीलन से दर्शित होता है कि प्रस्तुत परिवाद में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रश्नगत आदेश में कोई अवैधता व अनियमितता दर्शित नहीं होती है तथा उक्त आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार इस पुनरीक्षण वाद को खारिज करते हुए आदेश दिनांक 24.05.2022 को सम्पुष्ट किया जाता है।

10. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षण आदेश की प्रति सहित मामले का अभिलेख यथाशीघ्र विद्वान अवर न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
जहानाबाद।
30.06.2026

Web copy